पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-20 बृहस्पतिवार, दिनांक- 24 जुलाई, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.10 बजे अप० तक

[1] प्रश्नोत्तरकाल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न क्रम सं०-ख 958 नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित ।

(iv) 39 तारांकित प्रश्न अनागत ।

''अल्पसूचित प्रश्न संख्या-28 के उत्तर से माननीय सदस्यों के असंतुष्ट होने के कारण इस प्रश्न को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपे जाने की घोषणा आसन से की गई ।''

[2] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार एवं श्री दिनेश कुमार सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किये जाने की घोषणा आसन से की गई ।

[3] अन्य चर्चाएँ :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्य के अन्दर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गई ।

[4] ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) माननीय सदस्य डा० प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों का दिनांक 15 जुलाई 2014 से स्थगित शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(iii) मा० सदस्या डा० उषा विद्यार्थी का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ट हुआ ।

[5] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) माननीय मंत्री श्री प्रशांत कुमार शाही द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 एवं 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

समय- 2.00 बजे अप० से 05.13 बजे अप० तक ।

[6] <u>वित्तीय कार्य</u> :- <u>वित्तीय वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान</u> :-

पंचायती राज विभाग :-

माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री विनोद प्रसाद यादव द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा अनुदान की मांग पर राज्य सरकार के ''पंचायती राज'' नीति पर विचार विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

''इस दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अपना मोबाईल बंद रखने अथवा Silent Mode में रखने या फिर बाहर छोड़कर आने का निदेश दिया गया ।''

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री प्रदीप कुमार
(ii) श्री जनक सिंह
(iii) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह
(iv) श्री रामदेव महतो
(v) डा० अरूण कुमार
(vi) श्री श्याम देव पासवान
(vii) डा० मो० जावेद
(viii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(ix) श्री राजेश सिंह
(x) श्री जवाहर प्रसाद

माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री विनोद प्रसाद यादव द्वारा सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

'सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।'

तदुपरांत सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् सदन द्वारा वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा बारी-बारी से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[7] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय (वित्तीय) विधयेक</u>

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014''

माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 31 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-24.07.2014

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।